

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में कुमोली (कर्णधार) से बमोली-मयकोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण, ल0 4.00 किमी0 (वास्तविक ल0 3.300 किमी0)

- | | | |
|-------|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में) | 0.595 है0 |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 0.5950 है0 सिविल सोयम भूमि
0.0000 आरक्षित वन भूमि
1.7150 है0 नाप भूमि
0.0000 वन पंचायत भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | ...0.30-0.40 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 2... किमी0 |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का | लागू नहीं |

- ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 1984 वर्ग किमी0
- ii. जिला का वन क्षेत्र। 1790.995 वर्ग किमी0
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 163 Case 606-979 hae.
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण 1158.614 hae.
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि X
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. 2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर 1158.614 hae.
- (ख) वनेत्तर भूमि पर विकास कार्य
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। प्रकरण रुद्रप्रयाग जिन हिल से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

रुद्र वन संरक्षक
नाम
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
सरकारी माहिर
रुद्रप्रयाग